

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

CB
21/8/84

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 291] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 28, 1984/श्रावण 6, 1906
No. 291] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 28, 1984/SRAVANA 6, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1984

सा. का. नि. 546(अ).—केन्द्रीय सरकार, आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अध्यादेश, 1984 (1984 का 9) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 532 (अ) तारीख 23 जुलाई, 1984 को अधिकांत करने हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सेशन न्यायाधीश (सतर्कता) श्री अमृतलाल बाहरी को पटियाला न्यायिक जोन के संबंध में स्थापित विशेष न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करती है।

[सं. 1/2/84-बिधिक सेल (ii)]

प्रेम कुमार, विशेष-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 1984

G.S.R. 546(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Terrorist Affected Areas (Special Courts) Ordinance, 1984 (9 of 1984), and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Home Affairs No. G.S.R. 532(E), dated the 23rd July, 1984, the Central Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Punjab and Haryana, hereby appoints Shri Amrit Lal Bahri, Sessions Judge, Vigilance (Punjab and Haryana High Court) to be the judge of the Special Court established in relation to the judicial zone of Patiala.

[No. 1|2|84-Leg. Cell(ii)]

PREM KUMAR, Special Secy.